# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 89/2009 (आव0व0अधि0)

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।
––प्रार्थी

*बनाम*

1. श्री प्रदीप जैन, तत्कालीन क्षैत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, (कॉनफेड) कोटा
2. मैसर्स श्री सतीश सिंघल पुत्र श्री हरिसहाय गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 804–ए, बरकत नगर जयपुर हाल क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, (कॉनफेड) कोटा
3. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, कोटा

––अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

***निर्णय***

**दिनांक 17.3.2020**

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री ओम प्रकाश पाण्डेय निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनाक 17.11.2009 को जिला रसद अधिकारी महो0 कोटा के पत्रांक/ रसद/ रीडर/ 2009/ 1676–80 दिनांक 16.11.2009 की पालनार्थ मन ओम प्रकाश पाण्डेय, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री टीकम राम भाटी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री इरफान कुरैशी, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ प्राधिकृत थोक विक्रेता कॉनफेड (राज.रा.उ.सं.) कोटा के पास स्टॉक से अधिक मौजूद गेहूं 155.41 क्विंटल को जप्त हेतु पहुंचे ।
2. मौके पर श्री सतीश सिंघल पुत्र श्री एच.एस. गुप्ता (हरिसहाय गुप्ता) हाल कार्यवाहक क्षैत्रीय प्रबन्धक कॉनफेड एवं श्री लोकेश कुमार बाफना पुत्र श्री मानसिंह बाफना हाल कनिष्ट लेखाकार कॉनफेड कोटा मौजूद मिले । उक्त गेहूं के सम्बन्ध में दिनांक 13.5.2009 को कॉनफेड कोटा के विरू श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा गई जांच के संदर्भ में दिनांक 14.5.2009 को कॉनफेड कोटा के गोदाम स्थित रोड नं0 2 आई पी आई ए एवरग्रीन मोटर्स के सामने कोटा के गोदामों का जिला कलक्टर (रसद) महो0 कोटा के आदेश क्रमांक/रसद/प्रवर्तन/2009/147 दिनांक 14.5.2009 की पालनार्थ भौतिक सत्यापन किया गया था जिनमें कॉनफेड राजस्थान जयपुर से आए पदाधिकारी सर्व श्री अजय कुमार, श्री योगेन्द्र शर्मा प्रबन्धक (मार्केटिंग) श्री प्रताप नारायण शर्मा लेखाकार जयपुर से आये हुए भी मौजूद थे, गठित जांच दल के समक्ष कम्प्यूटर रिकार्ड के आधार पर कुल 2312.09 क्विंटल गेहूं, के स्थान पर

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2467.50 क्विंटल गेहूं उपलब्ध होना पाया गया था । इस अधिक्य पाए गये गेहूं 155.41 क्विंटल को श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा मौके पर दिये निर्देशानुसार श्री अजय कुमार महाप्रबन्धक, कॉनफेड के समक्ष पाबन्द करते हुए कि उक्त गेहूं का वितरण / निस्तारण बिना श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटा की अनुमति के नहीं करने हेत लिखते हुए श्री बिरधीलाल प्रतिनिधि कॉनफेड कोटा जो उस समय मौके पर मौजूद थे को सम्भलाया गया था । मौके पर श्री सतीश सिंघल से उक्त 155.41 क्विंटल गेहूं तलब करने पर इन्होंने अपने गोदाम में रखा 315 कट्टे वजनी 155.41 क्विंटल गेहूं उपलब्ध कराये जो उनको प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति कॉनफेड जयपुर द्वारा निर्देशित कर गोदाम में सुरक्षित रखे गये थे । श्री सिंघल ने बताया कि दिनांक 14.5.2009 को श्री प्रदीप जैन क्षैत्रीय प्रबन्धक कॉफेड कोटा के रूप में कार्यरत थे । डी.एस.ओ. कोटा से प्राधिकार पत्र संख्या 2, दिनांक 23.4.1993 से थोक विक्रेता के रूप में प्राधिकार पत्र जारी है । उक्त गेहूं का मौके पर अवलोकन करने पर उक्त गेहूं गोदाम में एफ.सी.आई के कट्टों में होना सही अवस्था में पाया गया । श्रीमान जिला रसद अधिकारी महो0 कोटा के उक्त आदेश क्रमांक 1676–80 दिनांक 16.11.2009 की पालनार्थ उक्त 155.41 क्विंटल गेहूं जो कॉनफेड कोटा के स्टॉक में मौजूद गेहूं से अधिक मात्रा में है को मौके पर संलग्न फर्द अधिग्रहण अनुसार जप्त किया जाकर सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से श्री अजयसिंह पंवार पुत्र श्री चैन सिंह पंवार जाति राजपूत निवासी मं.नं. 6 गोपाल विहार प्रथम पुलिस बारां रोड कोटा हाल मैनेजर कोटा क्रय–विक्रय सहकारी समिति (थोक विक्रेता) कोटा की सुपुर्दगी में संल्गन फर्द सुपुर्दगी नामे के अनुसार संभलाया गया एवं निर्देशित किया गया कि उक्त गेहूं को पूरी मात्रा में एवं सही हालत में संभलाकर रखें । एवं श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय कोटा के निर्देशानुसार ही उक्त गेहूं का निस्तारण / वितरण करें । इस प्रकार से उक्त फर्म श्री सतीश सिंघल एवं श्री प्रदीप जैन तत्कालीन क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्त संघ लिमिटेड, कोटा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के साथ साथ उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,11 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त सीजशुदा 155.41 क्विं. गेहूं को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत गेहूं के शीघ्र खराब होने की प्रवृत्ति के मध्यनजर अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से श्री आनन्द एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ, दिनांक 21.6.2011 को अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जर्ये वकील प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया किन्तु दिनांक 4.9.2019 के बाद से अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी लगातार अनुपस्थित चल रहे है, अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी को काफी मौके दिये जा चुके है ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा दिनांक 21.6.2011 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.11.2009 को जिला रसद अधिकारी कोटा के आदेश से जांच दल द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेता कॉनफेड के पास स्टॉक में अधिक मौजूद गेहूं

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

155.41 क्विं. को जप्त करने हेतु पहूंचे मौके पर सतीश सिंघल हाल प्रबंधक कॉनफेड एवं कनिष्ठ लेखाकार कॉनफेड मौके पर मौजूद मिले । इस गेहूं के सम्बन्ध में दिनांक 13.5.2009 को जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा जांच गई । जांच के संदर्भ में दिनांक 14.5.2009 को कॉनफेड कोटा के रोड नं0 2 आईपीआईए पर स्थित गोदामों का भौतिक सत्यापन किया गया था । जिसमें कम्प्यूटर रेकार्ड अनुसार 2312.09 क्विं. गेहूं के स्थान पर 2467.50 क्विं. गेहूं होना पाया गया था । इस प्रकार 155.41 क्विं गेहूं आधिक्य में पाया गया । इस प्रकार उपरोक्त आधिक्य में रहे गेहूं को उपरोक्त वर्णित आदेश की पालना में दिनांक 17.11.2009 को फर्द अधिग्रहण के अनुसार जप्त किया गया । उपरोक्त अनुसार कार्यवाही किये जाने के उपरांत प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय कोटा के द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए में सीजशुदा गेहूं 155.41 क्विं गेहूं को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है । जांच दल के द्वारा तत्कालीन प्रबंधक अप्रार्थी संख्या 1 जो दिनांक 14.5.2009 को विधि सम्मत रीति से अवकाश पर थे की गैर मौजूदगी में मनमानी प्रक्रिया अपनाकर जांच कार्य किया गया, जिसमें संस्था के कम्प्यूटरों में संधारित डाटा के साथ छेडखानी की गई तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर जांच कार्यवाही की गई । प्रार्थना पत्र प्रार्थी में वर्णित तथ्यों के मुताबिक समस्त कार्यवाही दिनांक 14.5.2009 को तत्कालीन समय में जांच दल के द्वारा की गई बताई गई है जबकि अधिग्रहण की कार्यवाही जांच कार्यवाही को लगभग 6 माह पश्चात अमल में लायी गई है । कथित जांच बाबत रिकार्ड, दैनिक स्टॉक रजिस्टर आदि तत्काल प्राप्त व जप्त नहीं किया गया । तद्नुसार समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्व एवं दूषित प्रमाणित है । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक कार्यवाही 6 माह के पश्चात किया जाना प्रकट होता है जबकि कॉनफेड के गोदामों की वास्तवितक हालात इस प्रकार के नहीं है कि गेहूं 6 माह की अवधि तक सुरक्षित अवस्था में रह सकें । ऐसा प्रतीत होता है कि जांच दल के द्वारा विधि विरूद्व प्रक्रिया अपनाकर मनमानी कार्यवाही करते हुये गेहूं का आधिक्य बताया गया है । दिनांक 13.5.2009 को कॉनफेड से भिन्न स्थान पर दीगर व्यक्ति के निजी परिसर में की गई कार्यवाही के समय तक कॉनफेड से गेहूं की आवाजाही प्रारम्भ थी । कॉनफेड के परिसर की वास्तविक स्थिति के मुताबिक कॉनफेड के कार्यालय एवं गोदाम की दूरी लगभग 100 मीटर की है, ऐसी अवस्था में दिनांक 13.5.2009 को बिलिंग की कार्यवाही डीलर्स की जांच के मुताबिक कार्यालय से जारी की, जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अचानक रसद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रूकवा दिया गया । इसी क्रम में माल की निकासी भी रोक दी गई, संस्था के द्वारा अंतिम दिवस दिनांक 13.5.2009 को बिल संख्या 633,634,635 क्रमशः अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल गेहूं की मात्रा क्रमशः 33 क्विं. एवं 02 क्विं के सम्बन्ध में डीलर श्री अशोक कुमार शर्मा जो दीगोद क्षैत्र के अधिकृत डीलर है, के हक में जारी किये गये थे, किंतु माल की निकासी एवं समस्त कार्यवाही रोक दिये जाने के कारण 100 मीटर दूर स्थित गोदाम से उपरोक्त बिलों से सम्बन्धित से कुल माल 73 क्विं. गेहूं की निकासी नहीं हो सकी थी किंतु उपरोक्त बिलों के जारी होते ही स्टॉक से गेहूं की मात्रा स्वतः कम हो गई थी, यह प्रकिया कम्प्यूटरजनित है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षी नं0 1 के द्वारा इस सम्बन्ध में सूचनाएं , सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई है । बोरखण्डी / बडोदिया ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसके द्वारा रसद कार्यालय कोटा के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गेहूं का वितरण किया जा रहा था, किंतु उपरोक्त वर्णित योजना तत्कालीन समय में बंद हो चुकी थी, तद्नुसार उक्त योजना से सम्बन्धित गेहूं उपरोक्त वर्णित संस्था बोरखण्डी / बडोदिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के यहां अवशेष में था, जिसे पुनः कॉनफेड को जमा कराने के आदेश रसद कार्यालय ने दिये हुये थे, यह गेहूं दिनांक 7.5.2009 को क्रमशः 76.76 व 20.03 क्विं. गेहूं कॉनफेड के डेली स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक संस्था के पास मौजूद था । यह गेहूं नियमित प्रक्रिया के मुताबिक मनरेगा में वितरित होना था, तद्नुसार यह गेहूं नॉन पी.डी.एस. श्रेणी का था । उपरोक्तानुसार मद क्रम–7 व 8 में वर्णित गेहूं से सम्बन्धित आंकडों को गणना में वर्णित गेहूं से सम्बन्धित आंकडों को गणना में लिया जाता तो निश्चित तौर पर गेहूं की मात्रा 155.41 क्विंटल आधिक्य में नहीं पायी जाती । विकल्पतः यह भी निवेदन है कि मद क्रम–7 में वर्णित डीलर अशोक कुमार शर्मा के विरूद्व प्रकरण संख्या 22/2010 रसद कार्यालय कोटा के द्वारा नॉन डिलीवरी के सम्बन्ध में संस्थित किया गया है जो प्रतिपक्षी के द्वारा उपरोक्तानुसार नॉन डिलेवरी का पुख्ता साक्ष्य है । प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 13.5.2009 को किसी घटनाक्रम अर्थात 392 क्विं. गेहूं के किसी दीगर परिसर से प्राप्त होने से सम्बन्धित से तथ्यात्मक स्थिति से प्रतिपक्षी नं0 1 अथवा कॉनफेड का कोई ताल्लुक नहीं है, इस तथ्य को प्रार्थना पत्र में उत्तरोत्तर आशय से माननीय न्यायालय को प्रिज्यूडिश करने के उद्देश्य से अंकित किया गया है । ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निजी हित साधने एवं उत्तरोत्तर आशयों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो वास्तवितक तथ्यों एवं रिकार्ड से किसी भी रूप में पुष्ट किये जाने योग्य नहीं है । जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 के विरूद्व जैरकार कार्यवाही धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम ड्रॉप फरमाई जावें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस माना जाने हेतु निवेदन किया है ।

6. हमने पेरोकार रसद की बहस सुनी, दौराने बहस अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए, पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई, एवं पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर भली भांति अवलोकन किया गया । परिणामस्वरूप वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर सीज्ड माल वापस लौटाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार कम्प्यूटर रिकार्ड के आधार पर कुल 2312.09 क्विंटल गेहूं के स्थान पर 2467.50 क्विंटल गेहूं उपलब्ध होना पाया गया था । जिसमें अधिक्य पाए गये गेहूं 155.41 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाना उचित समझते है किन्तु प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जाकर प्रकरण 3/7 के तहत सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में जब्तशुदा माल को राजसात करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेश होने पर ही निर्णय के मुताबिक किया जाना उचित समझते है, तब तक सीज्ड माल को पूर्व की भांति रखा जाना उचित रहेगा ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 155.41 क्विंटल गेहूं जिसका अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है को राजसात करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय सिविल के आदेश होने पर ही निर्णय के मुताबिक किया जाना सुनिश्चित करें, तब तक सीज्ड माल को पूर्व की भांति रखा जावें । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner